



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.-NCST/SER-3274/JH/2/2024-ESDW

दिनांक:30.06.2025

सेवा में

श्रीमति इन्दुमती भेंगरा ,
पति - श्री हेरमन भेंगरा,
ग्राम - मैदान टोली (कदमा),
थाना - खूंटी, जिला - खूंटी,
झारखण्ड - 835210,
मो न :7320000345

विषय: नाम-पता बदलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर साजिश के तहत् दखल-कब्जा करने की कोशिश करने के सम्बन्ध में

महोदया,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा संबंधित प्राधिकारीगण के साथ दिनांक **07 जुलाई 2025 (सोमवार)** को **11.00 बजे** आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई निश्चित की है। तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को अलग से समन/सिटिंग नोटिस भेज दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप भी प्रकरण के दस्तावेज सहित उक्त सिटिंग में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

दूरभाष/Tele: 011-24615012

E-mail : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

NIC for uploading